न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 – 09/2017

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
2. जगदीशप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।

– वादीगण

ब ना म

1. राजेंन्द्रसिंह पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र कुम्भा जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
3. धापां पुत्री कुम्भा जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
4. सन्तरों पुत्री कुम्भा जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तकशीम अन्तर्गत
धारा 53 आर टी एक्ट 1955

उपस्थितः–श्री दीलप झोरड़ वकील वादीगण
श्री विक्रम शर्मा प्रतिवादी संख्या 3,4

निर्णय दिनांकः– 06.10.2017

दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चनाण तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 13/12 के खसरा सं. 144/1 की 0.379 हैक्टर खसरा सं. 154 की 2.681 हैक्टर कुल तादादी 3.060 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

वादभूमि में वादी नरेशकुमार के नाम से 0.342 हैक्टर, वादी जगदीशप्रसाद के नाम से 0.595 हैक्टर प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम से 0.253 हैक्टर प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम से 1.190 हैक्टर प्रतिवादीगण धापां व सन्तरों के नाम से संयुक्त रूप से 0.690 हैक्टर बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रत जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4 के अधिवक्ता ने अपना जवाबदावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपना इकबालदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादीगण ने साक्ष्य पेश नही करनें का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वाद को अच्दी मंदी के हिसाब से प्राथमिक डिक्री किये जाने पर अनापति जाहिर की व बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्ष ने अच्छी मन्दी के हिसाब से बंटवारा किये जाने पर का निवेदन किया।वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये

जाते है कि रोही मोजा चनाण तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 13/12 के खसरा सं. 144/1 की 0.379 हैक्टर खसरा सं. 154 की 2.681 हैक्टर कुल तादादी 3.060 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सासनुार अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा एवं वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक खातेदार के विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिये रास्ता, आदि का भी दर्ज कर पेश करने हेतु लिख गया बाद विभाजन तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर सुना गया एवं उभय पक्षकारान ने अनापति जाहिर की। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता हैः–

हिस्सा वादीगण नरेश कुमार 0.342 हैक्टर, जगदीश प्रसाद 0.595 हैक्टर, पि. रामजीलाल मेघवंशी सा. देह खातेदार, रोही मोजा चनाण के वर्तमान खाता संख्या 13/12 के खसरा नं. 144/1 0.379 हैक्टर, 154/2 की 0.558 कुल खसरा 2 की 0.937 हैक्टर बारानी मुताबिक रंग पीला के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादीगण राजेन्द्रसिह वल्द धर्मपाल 0.253 हैक्टर, कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रोही मोजा चनाण खाता संख्या 13/12 के खसरा सं. 154/1 की 0.253 हैक्टर मुताबिक नक्शा रंग नीला के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वल्द कुम्भा 1.190 हैक्टर, धापां, सन्तरों, पुत्रियां कुम्भा 0.680 हैक्टर कौम मेंघवंशी सा. देह खातेदार रोही मोजा चनाण खाता संख्या 13/12 के खसरा सं. 154 की 1.870 हैक्टर मुताबिक नक्शा रंग हरा के अनुसार।

खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता व लगान राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग कायम कर दर्ज किया जावें। बैक का रहन यथावत रखा जावे। इसीनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक **06.10.2017** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 – 09/2017

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
2. जगदीशप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।

– वादीगण

ब ना म

1. राजेंद्रसिंह पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र कुम्भा जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
3. धापां पुत्री कुम्भा जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
4. सन्तरों पुत्री कुम्भा जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तकशीम अन्तर्गत
धारा 53 आर टी एक्ट 1955

आज यह वाद मुझ श्री ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रेमप्रकाश झोरड एवं विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:–

हिस्सा वादीगण नरेश कुमार 0.342 हैक्टर, जगदीश प्रसाद 0.595 हैक्टर, पि. रामजीलाल मेघवंशी सा. देह खातेदार, रोही मोजा चनाण के वर्तमान खाता संख्या 13/12 के खसरा नं. 144/1 0.379 हैक्टर, 154/2 की 0.558 कुल खसरा 2 की 0.937 हैक्टर बारानी मुताबिक रंग पीला के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादीगण राजेन्द्रसिह वल्द धर्मपाल 0.253 हैक्टर, कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रोही मोजा चनाण खाता संख्या 13/12 के खसरा सं. 154/1 की 0.253 हैक्टर मुताबिक नक्शा रंग नीला के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वल्द कुम्भा 1.190 हैक्टर, धापां, सन्तरों, पुत्रियां कुम्भा 0.680 हैक्टर कौम मेंघवंशी सा. देह खातेदार रोही मोजा चनाण खाता संख्या 13/12 के खसरा सं. 154 की 1.870 हैक्टर मुताबिक नक्शा रंग हरा के अनुसार।

खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता व लगान राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग कायम कर दर्ज किया जावें। बैक का रहन यथावत रखा जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक **06.10.2017** को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)